राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.17(17)चिस्वा/2/2010 जयपुर, दिनांकः 02.10.2010

आज्ञा

भारत के संविधान के 73 वें संशोधन की 11 वीं अनुसूची मे वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आज्ञा कमांक एफ.4(02)पंरावि/सशक्त/2010/27 दिनांक 02.10.2010 द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ मय फण्ड्स एवं स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन करते हुए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित निम्न कार्यकलाप हस्तान्तरित किये गये हैः–

(i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप केन्द्र, एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन कर दिये जावे। जिला परिषद स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मय स्टाफ हस्तान्तरित कर दिया जावे जो हस्तान्तरित चिकित्सा केन्द्रों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।

(ii) जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू होने के लिये इस कार्यक्रम से जुड़ी समस्त गतिविधियाँ एवं जिला स्तर तक के सम्पूर्ण स्टाफ को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया जावें।

(iii) एन.आर.एच.एम. द्वारा क्रियान्वित की जा रही जिला स्तर तक की गतिविधियाँ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही क्रियान्वित करवायी जावे एवं इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर तक सृजित स्टाफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दिया जावे।

I इस संदर्भ में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश कमांक प.16(58)चिस्वा/2/99 दिनांक 01.05.2000 एवं मुख्य सचिव के आदेश कमांक एफ.4(66)नपंराज/पीसी/2002/565 दिनांक 19.06.2003 का अतिकमण करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

विषय/कार्यकलापों का हस्तान्तरण

पंचायती राज विभाग के क्षेत्राधिकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम, गतिविधियां विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले नीतिगत/तकनीकी/सामयिक निर्णयों और दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए संबंधित पंचायत राज संस्थान द्वारा निष्पादन/क्रियान्वयन किया जावेगा।

विभिन्न कार्यकलापों के तहत आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सुनिश्चित करने का दायित्व पंचायती राज संस्थानों का होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सभी उपकेन्द्र एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेन्टर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन किये जाते है।

31 / 67

जिला स्तर

1. जिला स्तरीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण)/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण/स्वास्थ्य)/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी एवं उनके कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जिला परिषद के अधीन किया जाता है।

2. जिला परिषद/जिला परिषद द्वारा गठित समिति उनके क्षेत्राधिकार के कार्यालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे एवं जो कमियाँ पाई जावें उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश/सुझाव अधिकारियों/विभाग को प्रेषित कर सकें।
3. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होगी।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/जिला क्षय रोग अधिकारी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाऐं तैयार कर जिला परिषद से अनुमोदित करवायेंगे एवं इसके पश्चात ही राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।
5. जिले में आवश्यकतानुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों को खोलने के प्रस्ताव जिला परिषद से अनुमोदन करवाने के पश्चात ही राज्य सरकार को प्रेषित किये जा सकेंगे।
6. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रतिरोधात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होगी।

<u>पंचायत समिति स्तर</u>

1. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सभी [illegible] तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी [illegible] कर्मचारी पंचायत समिति के अधीन कार्य सम्पन्न करेंगे।
2. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी [illegible] लागू करने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होगी।
3. पंचायत समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होंगे तथा पाई गई कमियों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश/सुझाव संबंधित अधिकारियों/विभाग को प्रेषित करेंगे।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाऐं तैयार कर पंचायत समिति से अनुमोदित करवायेंगे एवं इसके पश्चात ही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
5. पंचायत समिति क्षेत्र में आवश्यकतानुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों को खोलने के प्रस्ताव पंचायत समिति से अनुमोदन करवाने के पश्चात ही जिला मुख्यालय को प्रेषित किये जा सकेंगे।
6. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रतिरोधात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी पंचायत समिति की होगी।
7. चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन पंचायत समिति की अनुशंषा पर होगा। भूमि चयन के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहां पहुंच सके तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो।

ग्राम पंचायत स्तर

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत ए.एन.एम., जी.एन.एम., पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अपना कार्य ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करेंगे।

2. आशा सहयोगिनी का चयन नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

3. ए.एन.एम. का भ्रमण कार्यक्रम व आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार सरपंच, ग्राम पंचायत को होगा।

4. विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं राष्ट्रीय कार्यकमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं सरपंच की होगी।

5. सरपंच ग्राम पंचायत उप–स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण [illegible] अधिकृत होंगे व जो कर्मचारी अनुपस्थित मिले उनके विरूद्ध अ[illegible] कार्यवाही हेतु प्रस्ताव पंचायत समिति/जिला परिषद को प्रेषित [illegible] प्रस्तावों प्र नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6. चिकित्सा विभाग में कार्यरत ए.एन.एम., जी.एन.एम., पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता अपने कार्य के प्रति उदासीन है या कार्य से अनुपस्थित है अथवा अपने कार्य स्थल पर निवास नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्थानांतरण हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अपनी अनुशंसा भेजेंगी। इन अनुशंसाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8.. उप केन्द्रों के कार्यकर्त्ता विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकमों की वार्षिक योजनाऐं तैयार कर ग्राम पंचायत से अनुमोदित करवायेंगे एवं इसके पश्चात ही खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

9. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रतिरोधात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

10. चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। भूमि चयन के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहां पहुंच सके तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता उस भवन में सुरक्षित रूप से रह सके।

II विभाग से जुडे कार्यकलाप जो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर हस्तान्तरित किये जा रहे है, का विवरण परिशिष्ठ–1 पर अंकित है। इसी कम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हस्तान्तरित कार्यकलापों से जुडी अन्य राज्य/केन्द्र/बाह्य संस्थाओं से जुडी गतिविधियों जो भविष्य में लागू की जावेगी, उनका कियान्वयन भी इसी प्रकार सुनिश्चित किया जावेगा।

III उक्त आदेशों के तहत हस्तान्तरित पदों का जिलेवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ठ–2 पर अंकित है।

IV हस्तान्तरित स्टाफ़ (परिशिष्ठ–2 के अनुसार) भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन रहते हुए उनके मार्गदर्शन में कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

V उपरोक्तानुसार वर्णित स्टाफ पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगा एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार वित्तीय प्रकरणों के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

VI हस्तान्तरित स्टाफ का तकनीकी पर्यवेक्षण पूर्ववत विभाग के अधीन रहेगा।

VII समस्त हस्तान्तरित स्टाफ (परिशिष्ठ–2 के अनुसार) तुरन्त प्रभाव से पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कार्यशील माने जावेंगे।

VIII विभाग के तकनीकी कार्यों से संबंधित सूचना एवं पर्यवेक्षण का कार्य पूर्ववत राज्य सरकार व चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता रहेगा।

IX महामारी, आपदा एवं चिकित्सकीय आपातकालीन अवस्था में आपदाओं आदि से निपटने एवं राज्य स्तरीय अभियानों के संचालन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे सकेंगे।

X उक्त वर्णित आदेशों के कम में विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेश अब उस सीमा तक अतिकमित माने जावेंगे, जिस सीमा तक इन आदेशों के प्रतिकूल/असंगत होंगे।

XI उपरोक्त आज्ञा के कियान्वयन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संशय की स्थिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा।

XII उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मा. पंचायती राज मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
6. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
8. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर।
9. परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, राज. जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान
12. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
14. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान
15. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राजस्थान
16. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
17. निजी/रक्षित पत्रावली

(आर. सी. ढेनवाल)
शासन उप सचिव